न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक– 1104 **शिवपुरी दिनांक– 08.12.2025**

–:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::–

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 **नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.25 तक शीतकालीन अवकाश होने के निरंतरता में दिनांक **01 जनवरी– 2026** का सार्वजनिक अवकाश होने से उक्त दिनांक के लिये जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ :–

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान
1	2	3
1-	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी
2-	श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा
3-	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर
4-	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस
5-	सुश्री काजल नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी
6-	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी।	खनियाधाना

नोट :–

01. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की ही मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान

करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।

02. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।

03. रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेन्ट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

3/12/25

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

पृष्ठांकन क्र0 1118 **दिनांक 10.12.2025**

प्रतिलिपि :–

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम/द्वितीय श्रेणी शिवपुरी/करैरा/पिछोर/कोलारस/पोहरी/खनियांधाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस /खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
04. निज सहायक न्यायालय मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी की ओर सें सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/12/25

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.